(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में सूखा ग्रस्त तथा कम आपूर्ति वाले क्षेत्रों में उचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण इस सप्लाई की परियोजना पूर्व-मूल्यांकन अवस्था में है। लगाए जाने वाले नलकूपों की संख्या सहित ब्यौरे राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन को अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद ही पता चल सकेंगे। यह परियोजना संभवतः राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिलों सहित 28 जिलों के 3321 गांवों के लिये होगी।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में बिना जल स्रोत वाले और आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों, जिनमें सूखा प्रभावित और कम जल सप्लाई वाले क्षेत्र शामिल हैं, में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के सामान्य योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत मुहैया कराई जाती है। बिना जल स्रोत वाले और आंशिक रूप से कवर किए जाने वाले गांवों बस्तियों को कवरेज का लक्ष्य वार्षिक योजना परिव्ययों में से वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

भूमि की अधिकतम सीमा कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सहायता

2038. श्री ईश दत्त यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कार्यक्रम के अधीन भूमि के आवंटितियों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटितियों को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को 1975-76 से अब तक केन्द्रीय अंश के रूप में 761.95 लाख रुपये की राशि दी गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बराबर का अंशदान किया जाता है।

ग्रामीण युवाओं हेतु परियोजना आधारित रोजगार

2039. श्री ईश दत्त यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें परियोजना आधारित कार्यों को आरम्भ करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी योजना किन-किन स्थानों पर आरम्भ की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) का उद्देश्य 18-35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को बुनियादी तकनीकी तथा प्रबंधकीय कौशल प्रदान करना है ताकि उद्योग, कृषि और संबंध क्षेत्र, उद्योग, सेवा तथा व्यावसायिक गतिविधियों के व्यापक क्षेत्रों में स्वरोजगार शुरू कर सके। ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्रों की भी अनुभूति है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र ग्रामीण युवाओं द्वारा सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं अथवा लाभार्थियों की सहकारी/पंजीकृत निकाय द्वारा सामूहिक कार्य जैसी कुछेक परियोजना आधारित योजनाएं भी शुरू की जा सकती है।